न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 283/2022

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. अयूब खां पुत्र हकीम खां 2. इसेखां पुत्र बरूखां 3. जुसब खां पुत्र बरूखां 4. बरकत खां पुत्र हकीम खां 5. लाधु पत्नी हकीम खां 6. लाधु पत्नी मीरखां 7. शकुर खां पुत्र हकीम खां 8. मीरेखां पुत्र बरूखां (समस्त जातियान, सिपाही मुसलमान, निवासीगण सोलंकियां तला, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर)		1. अकबर खां पुत्र लतीफ खां 2. अल्फा पुत्री लतीफ खां 3. करीमा पुत्री मेहरदीन खां 4. छोटू खां पुत्र मेहरदीन खां 5. तजीयो पुत्री मेहरदीन खां 6. नसीरो पुत्री मेहरदीन खां 7. बरकत खां पुत्र लतीफ खां 8. रेहमत पुत्र लतीफ खां 9. शोभा पुत्री लतीफ खां 10. शफी खां पुत्र मेहरदीन खां 11. सुरानी पत्नी मेहरदीन खां 12. सुलेमान खां पुत्र मेहरदीन खां 13. साहिल खां पुत्र लतीफ खां 14. हुरमी पत्नी लतीफ खां (समस्त जातियान सिपाही मुसलमान, निवासीगण सोंलकिंया तला, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर) 15. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा पारित आदेश कमांक 303 दिनांक 29.11.2021

उपस्थित–

1. श्री जगदीश प्रजापत वकील अपीलांट
2. श्री नाहरसिंह सोलंकी वकील रेस्पो0 सं0 2, 4, 5, 7, 9 से 12
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 15 की ओर से

निर्णय

दिनांक 04.11.24

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलांट्स ने लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा अंतर्गत धारा

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

136 आरएलआर, एक्ट के तहत पारित आदेश क्रमांक 303 दिनांक 29.11.21 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रशासन गांवो के संग अभियान –2021 केम्प सोलंकियातला में रेस्पो0सं0 11–सुरानी के आवेदन पर तहसीलदार शेरगढ द्वारा ग्राम सोलंकियातला की जमाबंदी संवत् 2070–73 में खाता संख्या 136 में वर्तमान दर्ज अशुद्ध प्रविष्टि–भेरिया पुत्र करमाली को शुद्ध प्रविष्टि के रूप में–मेहरिया उर्फ मेहरदीन खां पि0 मुबारक खां दर्ज करने की अनुशंषा पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने राज. भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु मियाद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

हमने दोनों पक्षों की अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान्न सुनवाई अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलांट्स की खातेदारी भूमि ग्राम सोलकियातला के खसरा नं0 595 रकबा 33.10 बीघा एवं खसरा नं0 596 रकबा 78.11 बीघा स्थित है। जिसके संबंध में रेस्पो0सं0 11–सुरानी पत्नी मेहरदीन खां ने नाम शुद्धिकरण हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर यह निवेदन किया कि ''मेरे पति का नाम मेहरदीन उर्फ मुबारक खां है, जबकि रेकर्ड में भेरिया पुत्र करमाली दर्ज है, जिसे दुरूस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया। राजस्व रेकर्ड में शुद्धि का आधार यह है कि अगर पिछले जमाबंदी में अंकित नाम, बिना किसी आधार के अगली जमाबंदी में गलत इन्द्राज कर दिया जाता है, तो शुद्धि करने का आधार बनता है। मौजूदा प्रकरण में इस प्रकार की अशुद्धि नही थी, फिर भी रेकर्ड शुद्धि का आदेश पारित कर दिया गया। उक्त आदेश द्वारा रेकर्ड में दर्ज नाम को वल्दियत ही बदलकर मेहरदीन खां पुत्र मुबारक खां कर

दिया गया, जबकि वल्दियत बदलना एवं पूरा नाम ही हटाकर दूसरा नाम दर्ज कर दिया जाना शुद्धि की श्रेणी में नही आता है। उक्त दुरूस्ती सिर्फ मृत्यु प्रमाण–पत्र को आधार मानकर की गई है। जबकि ऐसे जटिल बिन्दुओं का निस्तारण सक्षम न्यायालय में दावा पेश कर, साक्ष्य/सबूत के आधार पर निस्तारित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस कानूनी बिन्दु पर विचार किए बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त करने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0 के योग्य अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि प्रार्थी–रेस्पो0सं0 11 के अपने पति भेरीया पुत्र करमाली के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। जबकि प्रार्थीया के पति का नाम भेरिया उर्फ मेहरदीन पुत्र मुबारक खां है, जो कि उनके मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित है। अतः प्रार्थीया ने अपने पति के मृत्यु प्रकाण पत्र अनुसार राजस्व रेकर्ड में सही नाम दर्ज करने का आवेदन प्रस्तुत किया। जो हल्का पटवारी की रिपोर्ट व तहसीलदार शेरगढ की अनुशंषा पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नाम शुद्धिकरण का आदेश पारित किया गया। जिसमे अपीलांट का कोई लेना–देना नही है और ना ही उक्त भूमि में इनका हित निहित है। अतः अपील अपीलांट खारिज कर अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करने का आग्रह किया गया।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उसके संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आलौच्य प्रकरण में उभय पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा प्रकट तथ्यों के आधार अपीलाधीन नाम शुद्धिकरण को लेकर पक्षकारों के मध्य विवाद है। अपीलाधीन आदेश के द्वारा ग्राम सोलंकियातला की जमाबंदी संवत् 2070–73 में खाता संख्या 136 में दर्ज वर्तमान प्रविष्टि–भेरिया पुत्र करमाली के स्थान पर शुद्ध प्रविष्टि–मेहरिया उर्फ मेहरदीन खां पि0 मुबारक खां दर्ज करने का आदेश पारित किया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जमाबंदी संवत् 2070–73 की प्रति उपलब्ध नही है। वकील अपीलांट का यह कथन मानने योग्य है कि उक्त आदेश द्वारा रेकर्ड में दर्ज नाम की वल्दियत बदलकर मेहरदीन खां पुत्र मुबारक खां कर दिया गया, जबकि

वल्दियत बदलना एवं पूरा नाम ही हटाकर दूसरा नाम दर्ज करना, नाम शुद्धि की श्रेणी में नहीं आता है। इनका निस्तारण सक्षम न्यायालय में नियमित वाद में साक्ष्य/सबूत के आधार पर ही संभव है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार योग्य पायी जाने से तद्नुसार स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश कमांक 303 दिनांक 29.11.2021 निरस्त किया जाता है। उभय पक्ष अपने अनुतोष हेतु सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 04.11.24 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

04.11.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर